भारत सरकार
कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त,
आयकर भवन, सैक्टर 2,
पचंकुला।

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

GOVT. OF INDIA
O/o CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, HARYANA REGION, SECTOR-2, PANCHKULA.

फा.सं.: मु.आ.आ./पंच./वाहन किराए हेत/2019–20/

दिनांक : 30.01.2020

निविदा सूचना

मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र, पंचकूला द्वारा प्रतिष्ठित वाहन प्रदाताओं से इनोवा/वरना/ होंडा सिटी/सियाज(सफेद रंग) की गाड़ी दो बिड सिस्टम के तहत मासिक किराए के आधार पर वाहन देने की वास्तविक तिथि से तीन वर्ष तक के लिए कार्यालयीन कार्य हेतु सीलबंद लिफाफों में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

निविदा के दस्तावेज, नियम व शर्तें कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र के कमरा नं. 131, बे. नं. 43–48, आयकर भवन, सैक्टर–2, पंचकूला में उपलब्ध हैं। सभी इच्छुक पार्टियां किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 11:00 बजे निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं अथवा www.incometaxindia.gov.in (नई निविदा) तथा www.incometaxchandigarh.org से डाउनलोड की जा सकते हैं। सभी आवेदनकर्ता निविदा के लिए आवेदन करने से पूर्व अपनी योग्यता/पात्रता के नियम व शर्तें ध्यानपूर्व जांच लें।

निविदा फार्म स्पीड पोस्ट अथवा दस्ती देने के लिए अंतिम तिथि 14.02.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक है तथा निविदा उसी दिन सांय 4:00 बजे मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, हरियाणा क्षेत्र, पंचकूला में खोली जाएगी।

निविदा दिनांक 14.02.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र, पंचकूला पंहुच जानी चाहिए।

प्रथम कवर – पहला कवर निविदा दस्तावेजों के अनुलग्नक–III के अनुसार (तकनीकी बिड) अलग लिफाफे में बंद की जानी चाहिए जिस पर प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा मोहर लगी हो तथा लिफाफे के ऊपर 'कोटेशन फॉर ऑपरेशनल व्हीकल' लिखा हो।

द्वितीय कवर – दूसरा कवर निविदा दस्तावेजों के अनुलग्नक–IV के अनुसार(वित्तीय बिड) कांट्रेक्ट में दी गई राशि तथा दर कर रहित एवं भारतीय रूपये में दी जानी चाहिए।

क्रय समिति द्वारा वैद्य तकनीकी बिड की छंटनी कर पात्र बोलीदाता छांटे जाएंगे। उसके बाद तकनीकी बिड में छांटे गए बोलिदाताओं की वित्तीय बिड खोली जाएगी।

इस कार्यालय को यह सर्वाधिकार होगा कि वे किसी भी नियम अथवा शर्त को बदल अथवा रद्द कर सकते हैं अथवा किसी भी आवेदन को बिना किसी नोटिस के अस्वीकृत एवं रद्द कर सकते हैं। इस संबंध में क्रय समिति, पंचकूला का निर्णय सभी के लिए अंतिम तथा बाध्य होगा।

हस्ता/-
(मुकेश कुमार शर्मा)
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय मु.आ.आ. पंचकूला।

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि :

1. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

2. वेब मैनेजर, **www.incometaxindia.gov.in** को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे वेबसाइट पर अपलोड करवाएं।

3. उप आयकर आयुक्त(मु.), कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उ.प.क्षेत्र, चण्डीगढ को इस अनुरोध के साथ कि वे **www.incometaxchandigarh.org** वेबसाइट पर अपलोड करवाएं।

9608
12/02/20

मुकेश शर्मा

(मुकेश कुमार शर्मा)
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय मु.आ.आ. पंचकूला।

Scanned by CamScanner